

03/02/25

पत्रावली वाले निधि पेश हुनि उयय क  
उफ। पार पयि द्दीकार डिना जाला ह्य विहित  
निधि भलाग ले विजादा जातु शापिल  
यिसल डिना गरा। परचा डिफी जारी हो।  
पत्रावली तंघर से व्य हो।

निधि जुगदा गर।

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)



GCMS  
2024/384

यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

प्रीठासीन अधिकारी :- श्री संदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 191/2024

GCMS:- 2024/384

दायरा दिनांक : 18.06.2024

आतराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी चक 15 एस.जी.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

-वादी

बनाम

1. हरमनसिंह पुत्र अमृतपालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एल.एल.पी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी बैंक लिमिटेड शाखा सूरतगढ़
4. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, सूरतगढ़

-प्रतिवादीगण

उपस्थिती : एडवोकेट सुरेन्द्र सुथार - वादीगण

एडवोकेट राजवीर भादू - प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 'ए' व 209 आर.टी.ए

निर्णय

दिनांक : 03.02.2025



पत्रावली पेश हुई। वादीगण के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में विचारण तथ्य यह है कि प्रतिवादी नं. 01 हरमनसिंह पुत्र श्री अमृतपालसिंह के नाम से चक 16 एस.टी.बी के पत्थर नं. 43/320 (32) के किला नं. 6/1 में 0.215 है0 नहरी, 6/2 में 0.038 है0 गै. मु.रास्ता, 7 में 0.253 है0 = 0.506 है0 नहरी मय गै.मु.रास्ता भूमि व पत्थर नं. 44/320 (33) के किला नं. 1/1 में 0.228 है0, 1/2 में 0.025 है0 खाला, 2/1 में 0.228 है0 नहरी, 2/2 में 0.025 है0 खाला, 3/2 में 0.127 है0 नहरी, 3/3 में 0.025 है0 खाला, 9 ता 12 में 1.012 है0, 19 ता 22 में 1.012 है0 = 2.682 है0 नहरी मय खाला व पत्थर नं. 45/320 (34) के किला नं. 6/1 में 0.202 है0, 15-16 में 0.506 है0 नहरी, 25 में 0.253 है0 अनकमाण्ड बारानी = 0.961 है0 नहरी/अनकमाण्ड बारानी भूमि में से 817/4149 हिस्सा यानि 0.817 है0 नहरी मय खाला रास्ता अनकमाण्ड बारानी खातेदारी भूमि दर्ज कागजात है। प्रतिवादी नं. 01 द्वारा उक्त जैरवाद भूमि में से 0.032 है0 नहरी भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा वादी को विक्रय कर दी व मौका पर कब्जा मय पानी दे दिया गया उक्त बैयनामा सब रजिस्ट्रार सूरतगढ़ से तहरीर किया जाकर पंजीबद्ध किया गया है। प्रतिवादी नं 1 जो कि एक चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति है के मन में बदयान्ति आ गई है प्रतिवादी नं 1 के नाम से अंकित भूमि 0.032 है0 भूमि जरिये बैयनामा बेचान कर चुका है ऐसी अवस्था में प्रतिवादी नं. 1 का किसी प्रकार का कोई हक/कानूनन अधिकार नहीं रहा है व ना ही मौका पर उसका कब्जा काशत रहा है मात्र राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम अंकित होने के कारण व वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं होने के फलस्वरूप प्रतिवादी नं 1 वाद अन्ताति भूमि को बेचान करने को आमादा है जब कि उसे जमीन बेचने का कोई अधिकार नहीं रहा है। वादी दिनांक 11.04.2024 को अपने खेत में काम कर रहा था तो प्रतिवादी नं 1 खेत की तरफ आना व बातों बातों में उसने एलानिया कहा भी उक्त भूमि जो कि राजस्व रिकॉर्ड ने मेरे नाम से अंकित है को भी बेचान करेगा जब वादी द्वारा ऐसा कृत्य करने से रोका व कहा की आपने यह भूमि मुझे जरिये बैयनामा बेचान कर दी है तो प्रतिवादी नं 1 द्वारा एलानिया धमकी दी की ये भूमि मेरे नाम से है आपके नाम से दर्ज नहीं हुई है वह उक्त भूमि बेचान करेगा इसलिये प्रतिवादी न. 1 के खिलाफ वादी चिरस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिये खातेदार कृषक घोषित करवाने का वादपत्र प्रस्तुत किया। जो रजिस्टर होने के बाद प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी होने के बाद प्रतिवादी नं. 01 की तरफ से अधिवक्ता राजवीर भादू द्वारा इकबाल दावा प्रस्तुत किया गया व शामिल मिसल किया गया व प्रतिवादी नं. 02 ता 04 रजिस्टर नोटिस पर उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 20.09.2024 को उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा

क्रमशः पेज नं. 02 पर .....

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)


दिनांक 23.10.2024 को फार्म नं. 03 के साथ बैयनामा की प्रति प्रस्तुत करते हुए ब्यानात हेतु शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा ब्यानात पर जिरह नहीं करने पर जिरह शुन्य दर्ज की गयी। पत्रावली वास्ते बहस पेश हुई।

अतः पत्रावली वास्ते बहस प्रस्तुत होने पर वकील वादी उपस्थित होकर वकील वादी विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रतिवादी नं. 01 द्वारा वादी को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 10.08.2021 को चक 16 एस.टी.बी के पत्थर नं. 43/320 (32) के किला नं. 6/1 में 0.215 है० नहरी, 6/2 में 0.038 है० गै.मु.रास्ता, 7 में 0.253 है० = 0.506 है० नहरी मय गै.मु.रास्ता भूमि व पत्थर नं. 44/320 (33) के किला नं. 1/1 में 0.228 है०, 1/2 में 0.025 है० खाला, 2/1 में 0.228 है० नहरी, 2/2 में 0.025 है० खाला, 3/2 में 0.127 है० नहरी, 3/3 में 0.025 है० खाला, 9 ता 12 में 1.012 है०, 19 ता 22 में 1.012 है० = 2.682 है० नहरी मय खाला व पत्थर नं. 45/320 (34) के किला नं. 6/1 में 0.202 है०, 15-16 में 0.506 है० नहरी, 25 में 0.253 है० अनकमाण्ड बारानी = 0.961 है० नहरी/अनकमाण्ड बारानी भूमि में से 817/4149 हिस्सा यानि 0.817 है० नहरी मय खाला रास्ता अनकमाण्ड बारानी खातेदारी भूमि में से 0.032 है० नहरी भूमि खरीद की गयी है मगर जैर प्रकरण रकबा प्रतिवादी नं. 03 के पक्ष में रहन दर्ज होने से राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक बैयनामा दर्ज नहीं हो रहा है इसलिये वादी प्रतिवादी नं. 01 के रकबा में से 0.032 है० रकबा की बकाया ऋण स्वयं वहन कर रहन फक आदेश जारी करवाकर एन.ओ.सी. प्राप्त करने का अधिकारी है। व मुताबिक बैयनामा दिनांक 10.08.2021 की पालना में प्रतिवादी नं. 01 के नाम दर्ज रकबा में से 0.032 है० नहरी भूमि को कलमजन किया जाकर जैरवाद भूमि का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे का निवेदन किया गया।



पत्रावली उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। चक 16 एस.टी.बी के पत्थर नं. 43/320 (32) के किला नं. 6/1 में 0.215 है० नहरी, 6/2 में 0.038 है० गै.मु.रास्ता, 7 में 0.253 है० = 0.506 है० नहरी मय गै.मु.रास्ता भूमि व पत्थर नं. 44/320 (33) के किला नं. 1/1 में 0.228 है०, 1/2 में 0.025 है० खाला, 2/1 में 0.228 है० नहरी, 2/2 में 0.025 है० खाला, 3/2 में 0.127 है० नहरी, 3/3 में 0.025 है० खाला, 9 ता 12 में 1.012 है०, 19 ता 22 में 1.012 है० = 2.682 है० नहरी मय खाला व पत्थर नं. 45/320 (34) के किला नं. 6/1 में 0.202 है०, 15-16 में 0.506 है० नहरी, 25 में 0.253 है० अनकमाण्ड बारानी = 0.961 है० नहरी/अनकमाण्ड बारानी भूमि में से 817/4149 हिस्सा यानि 0.817 है० नहरी मय खाला रास्ता अनकमाण्ड बारानी खातेदारी भूमि में से 0.032 है० नहरी भूमि मुताबिक बैयनामा वादी का खरीदशुदा रकबा है व वादी द्वारा प्रतिवादी नं. 03 का रहन राशि जमा करवाने के लिए तैयार है इसलिये वादी से प्रतिवादी नं. 03 उक्त भूमि की रहन पेटे बकाया राशि जमा करवाकर रहन फक आदेश वादी को दिया जाना उचित समझते हैं और इसी क्रम में मुताबिक बैयनामा दिनांक 10.08.2021 के आधार पर चक 16 एस.टी.बी के पत्थर नं. 43/320 (32) के किला नं. 6/1 में 0.215 है० नहरी, 6/2 में 0.038 है० गै.मु.रास्ता, 7 में 0.253 है० = 0.506 है० नहरी मय गै.मु.रास्ता भूमि व पत्थर नं. 44/320 (33) के किला नं. 1/1 में 0.228 है०, 1/2 में 0.025 है० खाला, 2/1 में 0.228 है० नहरी, 2/2 में 0.025 है० खाला, 3/2 में 0.127 है० नहरी, 3/3 में 0.025 है० खाला, 9 ता 12 में 1.012 है०, 19 ता 22 में 1.012 है० = 2.682 है० नहरी मय खाला व पत्थर नं. 45/320 (34) के किला नं. 6/1 में 0.202 है०, 15-16 में 0.506 है० नहरी, 25 में 0.253 है० अनकमाण्ड बारानी = 0.961 है० नहरी/अनकमाण्ड बारानी भूमि में से 817/4149 हिस्सा यानि 0.817 है० नहरी मय खाला रास्ता अनकमाण्ड बारानी खातेदारी भूमि में से 0.032 है० नहरी भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने के प्रतिवादी नं. 02 को आदेश दिया जाता है।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (रा.ज.)  
सूरतगढ़

(ओ.21 रूल 6-7 जाबा दिवानी)

--: परचा डिक्री :-

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

आतराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी चक 15 एस.जी.आर. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

-वादी

बनाम

1. हरमनसिंह पुत्र अमृतपालसिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एल.एल.पी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. शाखा प्रबंधक एच.डी.एफ.सी बैंक लिमिटेड शाखा सूरतगढ़
4. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, सूरतगढ़


-प्रतिवादीगण

वाद पत्र 88, 188, 92 'ए' व 209 आर.टी.ए के मुकदमा नं. 191 वर्ष 2024 यह मुकदमा वास्ते इनफिलास कितई रुबरू हमारे हाजिर वादी एडवोकेट श्री सुरेन्द्र कुमार सुथार च प्रतिवादी नं. 01 की तरफ से एडवोकेट राजवीर भादू के हाजिर होने पर हुकम दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :-

दावा वादी स्वीकार किया जाता है तथा वादाधीन भूमि चक 16 एस.टी.बी के पत्थर नं. 43/320 (32) के किला नं. 6/1 में 0.215 है0 नहरी, 6/2 में 0.038 है0 गै.मु.रास्ता, 7 में 0.253 है0 = 0.506 है0 नहरी मय गै.मु.रास्ता भूमि व पत्थर नं. 44/320 (33) के किला नं. 1/1 में 0.228 है0, 1/2 में 0.025 है0 खाला, 2/1 में 0.228 है0 नहरी, 2/2 में 0.025 है0 खाला, 3/2 में 0.127 है0 नहरी, 3/3 में 0.025 है0 खाला, 9 ता 12 में 1.012 है0, 19 ता 22 में 1.012 है0 = 2.682 है0 नहरी मय खाला व पत्थर नं. 45/320 (34) के किला नं. 6/1 में 0.202 है0, 15-16 में 0.506 है0 नहरी, 25 में 0.253 है0 अनकमाण्ड बारानी = 0.961 है0 नहरी/अनकमाण्ड बारानी भूमि में से 817/4149 हिस्सा यानि 0.817 है0 नहरी मय खाला रास्ता अनकमाण्ड बारानी खातेदारी भूमि में से 0.032 है0 नहरी भूमि का खातेदारी कृषक घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है।

नोज -----x----- मुबलिंग -----x----- बाबत -----x----- खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह -----x----- फस्दों की पालना -----x----- आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्ल मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 03-02-25 को जारी किया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
सहायक कलेक्टर एवं  
सूरतगढ़ (राज.)  
सूरतगढ़।

